Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 6

भारत एवं राजस्थान की राजव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

RAS

भारत एवं राजस्थान की राजव्यवस्था

क्र.सं.	अध्याय नाम	पृष्ठ सं.
	भारत की राजव्यवस्था	
1.	संविधान सभा	1
2.	संविधान की विशेषताएँ	9
3.	संवैधानिक संशोधन और आधारभूत संरचना का सिद्धांत	16
4.	प्रस्तावना	27
5.	मूल अधिकार	31
6.	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	48
7.	मौलिक कर्तव्य	53
8.	राष्ट्रपति	56
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	66
10.	संसद	71
11.	सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा	93
12.	संवैधानिक निकाय	102
13.	गैर-संवैधानिक निकाय	109
14.	संघवाद	118

राजस्थान की राजव्यवस्था

1.	राज्यपाल	128
2.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	135
3.	राज्य विधानमंडल	145
4.	उच्च न्यायालय	156
5.	स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज	163
6.	राजस्थान का जिला प्रशासन	178
7.	राजस्थान के संवैधानिक निकाय	188
8.	राजस्थान के गैर-संवैधानिक निकाय	194
9.	विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र	203

8 CHAPTER
राष्ट्रपति

पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत-मूल्य था - (2023)

(1) 149 (2) 132

(3) 129 (4) 116

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 2 निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात् विद्यमान है, जिसके कारण आन्तरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है ? (2018)

(1) 26 अक्टूबर, 1962 (2) 3 दिसम्बर, 1971

(3) 25 जून, 1975 (4) 26 जून, 1975

प्रश्न 3 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है (2016)

(1) न्यायिक प्रक्रिया (2) अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया

(3) विधायी प्रक्रिया (4) कार्यपालिका - प्रक्रिया

विश्लेषण - RAS प्रारम्भिक परीक्षा में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति से जुड़े प्रश्न आते हैं, इसलिए इस विषय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । यदि पूछे गए पहलुओं पर गौर किया जाए, तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग और आपातकालीन शक्तियाँ प्रमुख हैं। इसलिए, इस अध्याय को एक नवीन तरीके से तैयार किया गया है ताकि विषय के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और केंद्रित तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का राष्ट्राध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति; भारतीय राज्य का नाममात्र प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक और भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता हैं। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता हैं।

राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका (अनुच्छेद 52 से 78) का एक हिस्सा होता हैं।

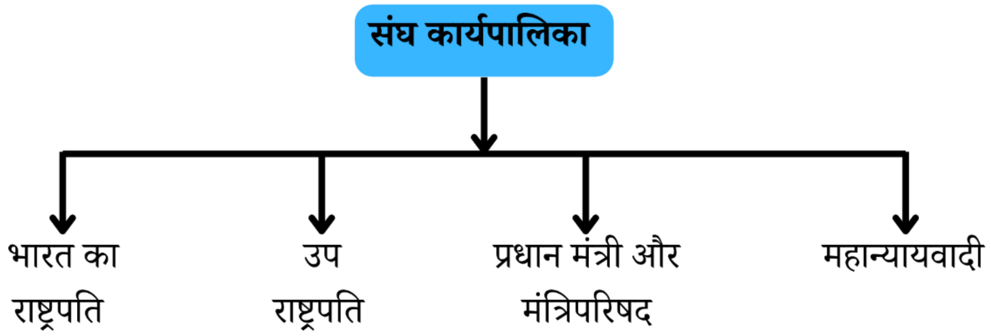

1. संवैधानिक प्रावधान

➢ राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा

अनुच्छेद 53: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति और रक्षा बलों कीसर्वोच्च कमान को राष्ट्रपति में निहित करता है, जो इन शक्तियों का उपयोग सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, संविधान और कानूनों के अनुसार कर सकता हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54)

- गुप्त मतदान / अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत का उपयोग।
- पूर्ण बहुमत आवश्यक।
- **राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल:**
  - ☑ संसद के निर्वाचित सदस्य
  - ☑ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
  - ☑ दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य (70वां सविधान संशोधन अधि.)
  - ✗ संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य
  - ✗ राज्य परिषदों के सदस्य

राज्य विधान सभा के सदस्यों के मत का मूल्य

$$\frac{\text{वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या (42वां सविधान संशोधन अधि.)}}{\text{राज्य के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या}} \times \frac{1}{1000}$$

संसद सदस्यों के मत का मूल्य

$$\frac{\text{सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के मतों का योग।}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या}}$$

राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य

$$\frac{25,765,806}{200} \times \frac{1}{1000} = 129$$

IMPORTANT

2. राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल (अनुच्छेद 56)

- कार्यकाल: पद ग्रहण करने के 5 वर्षों तक।
  - ✓ राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।
- कार्यकाल समाप्ति के कारण:
  - ✓ उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग।
  - ✓ संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- पुनर्निर्वाचन (अनुच्छेद 57): कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

3. अर्हता/योग्यता (अनुच्छेद 58)

- भारत का नागरिक है।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।
- लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी, या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है।

4. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें (अनुच्छेद 59)

- राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा
  - ✓ किन्तु यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।
- राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।
- राष्ट्रपति, किराए मुक्त, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा।
- परिलब्धियां, भत्ते, और विशेषाधिकार जो संसद्, विधि द्वारा अवधारित करे।
  - ✓ राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते ।

5. पद की शपथ (अनुच्छेद 60)

- शपथ ग्रहण: पद धारण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा।

6. राष्ट्रपति का महाभियोग (अनुच्छेद 61)

- महाभियोग आधार: 'संविधान का अतिक्रमण', लेकिन संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं।
- महाभियोग की प्रक्रिया: एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

राष्ट्रपति पर महाभियोग

आरोप सम्बन्धी प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तावित।

↓

1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित

↓

कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना

↓

यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होने पर प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजना

↓

यदि दूसरे सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित

↓

राष्ट्रपति का निष्कासन

कौन शामिल हो सकता है?

- ☑ संसद के निर्वाचित सदस्य
- ☑ संसद के मनोनीत सदस्य
- ☒ राज्य विधान सभा के सदस्य
- ☒ दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के सदस्य

किसी भी विवाद की स्थिति में: सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है। (रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला)

! अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हुआ है।

6.1 राष्ट्रपति की पद रिक्ति:

राष्ट्रपति की पद रिक्ति निम्नलिखित कारणों से हो सकती है:

1. कार्यकाल समाप्त होने पर
2. त्यागपत्र देने पर
3. महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर
4. मृत्यु के कारण
5. अयोग्य घोषित होने पर या चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने पर

यदि त्यागपत्र, हटाए जाने, मृत्यु या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, पद रिक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा करते हैं। ऐसे मामलों में, नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

7. राष्ट्रपति की शक्तियां

राष्ट्रपति की शक्तियां

1 कार्यकारी शक्तियां

- प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 75),महालेखा परीक्षक (CAG),महान्यायवादी (Attorney General),मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC),संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति
- अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा (अनुच्छेद 244)
- केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति (अनुच्छेद 239)

2 विधायी शक्तियां

- लोकसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान, और भंग करना।
- संसद के संयुक्त सत्र को बुलाना।
- संसद के पहले सत्र में अभिभाषण देना।
- निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेना (अनुच्छेद 103)।
- राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करना (साहित्य, कला, विज्ञान, और समाज सेवा के क्षेत्र से)।
- अधिनियम जारी करना (ऑर्डिनेंस) - अनुच्छेद 123।
- संसद में CAG, UPSC और वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

→

सा साहित्य
क कला
वि विज्ञान
सा सामाजिक सेवा

3 वित्तीय शक्तियां

- धन विधेयक: केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट): संसद में प्रस्तुत करना।
- भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि का उपयोग।
- वित्त आयोग की नियुक्ति करना।

वि वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)
आ आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित पूंजीगत व्यय
अ अनुदान की मांग
ध धन विधेयक
वा वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112)

4 न्यायिक शक्तियां

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
- क्षमा, प्विरलंबन, राहत, छूट, निलंबन, परिहार या लघुकरण

↓

स सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
वि विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह (अनुच्छेद 143)
क्ष क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)

→

क्षमा = माफ़ करना	पुर्णतः मुक्त
लघुकरण = प्रतिस्थापन	मृत्यु - कठोर कारावास - साधारण कारावास
परिहार= कम करना	प्रकृति बदले बिना दंड अवधि कम करना
विराम = विश्राम/राहत	किसी विशेष तथ्य (विकलांगता/गर्भावस्था) के कारण कम सजा
प्रविलंबन = स्थगित करना/रोकना	निष्पादन पर रोक लगाना

मृ **मृत्युदंड**
सं **संघीय विधि** के विरुद्ध दंड
सै **सैन्य न्यायालय/कोर्ट मार्शल** द्वारा दण्ड

5 राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ

- संधियाँ और समझौते: राष्ट्रपति की ओर से संधियों और समझौतों का निष्पादन होता है (अनुच्छेद 253)।
- वह सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं (अनुच्छेद 53(2))।
- थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं।

6 आपातकालीन शक्तियां

- अनुच्छेद 352, 356, 365 और अनुच्छेद 360

7.1 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां

संविधान के तहत राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352 के तहत)
2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365 के तहत)
3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360 के तहत)

आपातकाल का प्रकार	अनुच्छेद	घोषणा के आधार	संसदीय मंजूरी	मंजूरी की समय सीमा	आवश्यक बहुमत	आपातकाल की अवधि	समाप्ति का तरीका
राष्ट्रीय आपातकाल	अनुच्छेद 352	बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह	संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी आवश्यक	एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी	विशेष बहुमत	प्रारंभिक में 6 माह । प्रति 6 माह में संसद की मंजूरी से अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।	सदन के प्रस्ताव या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त।
राष्ट्रपति शासन	अनुच्छेद 356 और 365	संवैधानिक तंत्र की विफलता	संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी आवश्यक	दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी	साधारण बहुमत	प्रारंभिक 6 माह। संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।	सदन के प्रस्ताव या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त।
वित्तीय आपातकाल	अनुच्छेद 360	भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा	संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी आवश्यक	दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी	साधारण बहुमत	अनिश्चितकाल तक चलता है, जब तक इसे रद्द न किया जाए। पुनः मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं।	सदन के प्रस्ताव या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त।

नोट:
अनुच्छेद 355 के तहत, संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे।

आपातकाल का प्रभाव

कार्यपालिका पर प्रभाव	राज्य सरकारें संघ सरकार के प्रभावी नियंत्रण में आ जाती हैं। संघ सरकार को राज्यों को निर्देश देने का अधिकार होता है, जिन्हें राज्य सरकारें मानने के लिए बाध्य होती हैं। (अनुच्छेद 353(a))
विधायिका पर प्रभाव	राज्य की विधानसभाएं कार्यरत रहती हैं, लेकिन संसद को राज्य से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। (अनुच्छेद 353(b))
वित्तीय संबंधों पर प्रभाव	राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों (अनुच्छेद 268 से 279 के तहत) में संशोधन कर सकते हैं। (अनुच्छेद 354)
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव	➢ अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। (अनुच्छेद 358) ➢ भारतीय संविधान के भाग III के तहत दिए गए अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 359) अपवाद - अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणाएं

1. 26 अक्टूबर, 1962: - भारत-चीन युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया।
2. 3 दिसंबर, 1971: - भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया।
3. 25 जून 1975: - आंतरिक अशांति के कारण और आंतरिक सुरक्षा को खतरे के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया।

7.2 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

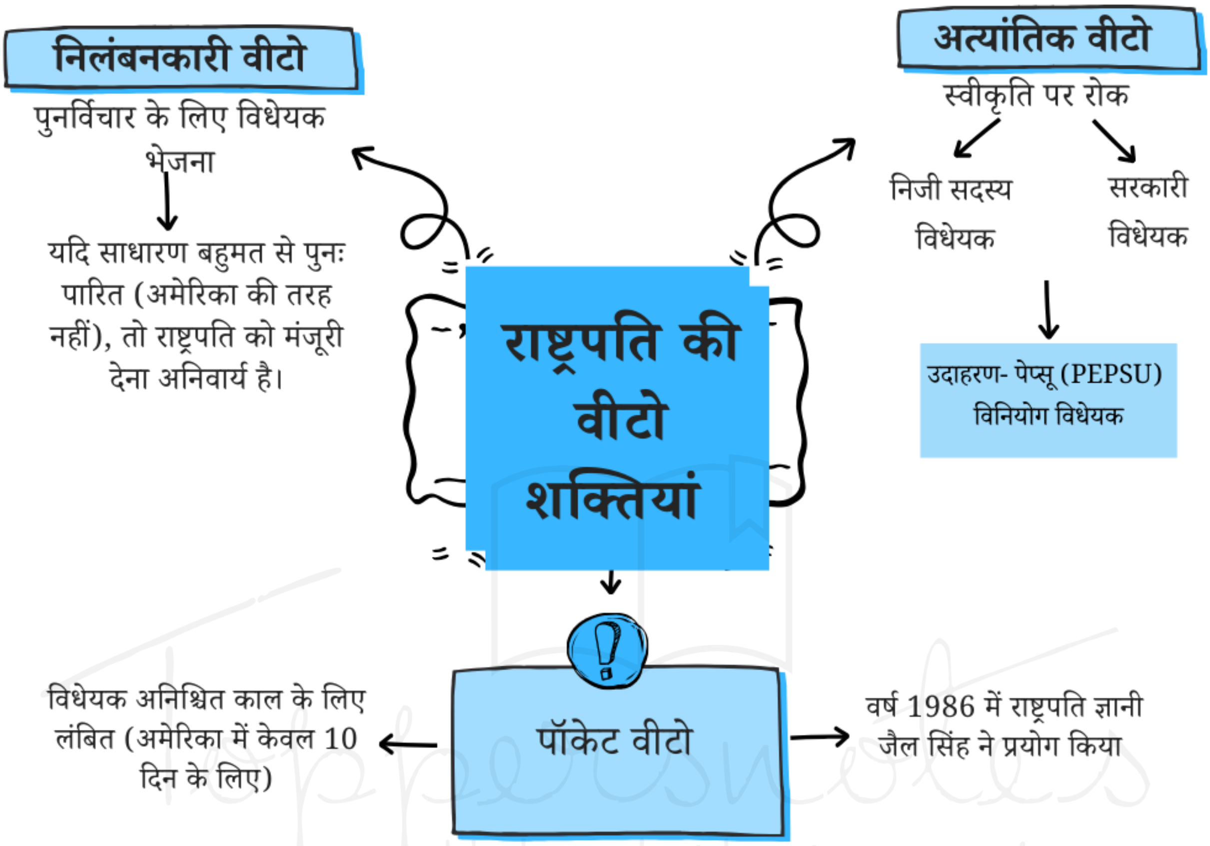

7.3 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)

- राष्ट्रपति संसद के विश्रान्तिकाल के दौरान अध्यादेश जारी करते हैं।
- अध्यादेश में संसद के एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है, लेकिन वे प्रकृति में अस्थायी होते हैं। (लेकिन अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता)
- इस शक्ति पर 4 सीमाएं हैं:
  - ✓ वह केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों या किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो।
  - ✓ वह तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब उन्हें यह समाधान हो कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है।
  - ✓ अध्यादेश की अवधि को छोड़कर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के कानून बनाने की शक्ति के समान होती है।
    - इसके 2 परिणाम हैं:
      - ❖ अध्यादेश केवल उन विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।
      - ❖ इसे संसद के कानून की तरह ही संवैधानिक सीमाओं का पालन करना होगा, इसलिए यह किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं सकता ।

- संसद के विश्रान्तिकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के पुनः सत्र में आने पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो यह एक अधिनियम बन जाता है। यदि संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो संसद के पुनर्मिलन से छह सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है।
  - ✓ इस तरह अध्यादेश की अधिकतम अवधि = 6 महीने + 6 सप्ताह होती है।

7.4 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)

राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में क्षमादान दे सकते हैं:

- किसी केंद्रीय विधि के तहत सजा या दंड
- किसी सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा या दंड
- मृत्यु दंड की सजा

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली	
क्षमा (Pardon)	इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सज़ा को दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
लघुकरण (Commutation)	इसमें दंड के स्वरुप में परिवर्तन करना शामिल है, उदाहरण- मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।
परिहार (Remission)	इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है, उदाहरण - 1 वर्ष के कारावास को 6 महीने की सजा में बदलना।
विराम (Respite)	इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सज़ा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सज़ा को परिवर्तित करना। उदाहरण - किसी महिला अपराधी का गर्भवती होना।
प्रविलंबन (Reprieve)	इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिये किसी सज़ा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिये समय देना है।

7.5 राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में उन्हें विवेकाधीन निर्णय लेने का अधिकार होता है:

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो या जब कार्यरत प्रधानमंत्री की आकस्मिक निधन हो जाए और स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो।
- मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, जब वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में असमर्थ हो।
- लोकसभा को भंग करना, यदि मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देती है।

8. राष्ट्रपति का पद

- राष्ट्रपति को एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है।
- मंत्री परिषद लोकसभा भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उनकी सहायता और सलाह के लिए रहती है।

- यदि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को नजरअंदाज करते हैं या उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो उन्हें संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है।
- 42वां संशोधन, 1976: अनुच्छेद 74 में संशोधन कर मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य बना दिया गया।
- 44वां संशोधन, 1978: अनुच्छेद 74 में संशोधन कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्री परिषद से सलाह पर पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को उस सलाह पर कार्य करना अनिवार्य होगा।

9. भारत के राष्ट्रपतियों की सूची

नाम	कार्यकाल	विवरण
राजेंद्र प्रसाद	13 मई, 1952 - 13 मई, 1957 13 मई, 1957 - 13 मई, 1962	➢ ये दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ➢ इस पद पर निर्वाचित होने से पहले वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962 – 13 मई, 1967	➢ उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का पद भी संभाला।
जाकिर हुसैन	13 मई, 1967 – 3 मई, 1969	➢ यह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ➢ यह सबसे कम समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया।
वराहगिरि वेंकट गिरि	3 मई, 1969 – 20 जुलाई, 1969 24 अगस्त, 1969 – 24 अगस्त, 1974	➢ ये वर्ष 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ➢ ज़ाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु के कारण ये अल्पावधि के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे। ➢ ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे।
फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974 – 11 फरवरी, 1977	➢ यह आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे। ➢ यह दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई।
नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977 – 25 जुलाई, 1982	➢ यह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ➢ यह राष्ट्रपति भवन में आने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति बने और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दो बार चुनाव लड़ा।
जैल सिंह	25 जुलाई, 1982 – 25 जुलाई, 1987	➢ यह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री थे। ➢ इन्होंने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया।
रामास्वामी वेंकटरमन	25 जुलाई, 1987 – 25 जुलाई, 1992	➢ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें “ताम्र पत्र” से सम्मानित किया गया।

शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992 – 25 जुलाई, 1997	➢ इनका जन्म भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। ➢ ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री थे।
कोचरिल रमन नारायणन	25 जुलाई, 1997 – 25 जुलाई, 2002	➢ इन्होंने थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। ➢ ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002 – 25 जुलाई, 2007	➢ इन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ➢ यह भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी थे।
प्रतिभा पाटिल	25 जुलाई, 2007 – 25 जुलाई, 2012	➢ यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं।
प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 – 25 जुलाई, 2017	➢ इन्हें वर्ष 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ➢ वर्ष 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
राम नाथ कोविंद	25 जुलाई, 2017 - 25 जुलाई, 2022	➢ इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।
द्रौपदी मुर्मू	25 जुलाई, 2022 - वर्तमान	➢ यह संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली महिला राष्ट्रपति हैं ➢ प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं।

Toppersnotes Unleash the topper in you